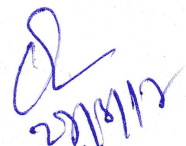


निरीक्षण प्रतिवेदन

गुवा —सलाई पथ के फेज—।। (कि०मी० 11.00 से कि०मी० 29.00) पथांश का प्रयोक्ता एजेन्सी कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा पथ के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए पूर्व में समर्पित अपयोजन प्रस्ताव क्षेत्र 7.67 हे० Online प्रस्ताव के Road Category में नहीं होने के चलते प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा अपयोजन प्रस्ताव को वापस लेते हुए उक्त फेज—।। पथांश के लिए संशोधित नया अपयोजन प्रस्ताव 7.67 हे० का इस कार्यालय के Website में Online दिनांक 24.03.2017 को प्राप्त हुआ है।

तदनुसार अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्राप्त संशोधित अपयोजन प्रस्ताव 7.67 हे० का स्थलीय जाँच दिनांक 26.03.2017 को किया गया। निरीक्षण में उक्त पथ के फेज—।। (कि०मी० 11.00 से कि०मी० 29.00) में पथ का निर्माण कार्य वर्तमान में बन्द है एवं किसी प्रकार के अन्य गतिविधि नहीं देखा गया अर्थात् यथावत् है। इस प्रकार पूर्व प्रस्ताव में जो निरीक्षण की स्थिति पाई गई थी आज भी स्थिति वही है। पूर्व निरीक्षण विस्तृत प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न—यथोक्त।

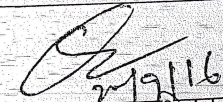

वन प्रमण्डल, सारण्डा, चाईबासा।
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
सारण्डा वन प्रमण्डल,
चाईबासा।

गुवा-सलाई पथ के फेज-I (11.00 से 29.00 कि०मी०) का निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा गुवा-सलाई पथ के फेज-II (11.00 से 29.00 कि०मी०) के अधिसूचित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। यह पथ गुवा-सलाई पथ के फेज-I के आगे का भाग है। यह पथ अधिसूचित घाटकुड़ी आरक्षित वन से दो जगहों पर पास करता है जिसमें पहला भाग 1.5 कि०मी० पहाड़ी क्षेत्र है एवं दूसरा भाग 4.4 कि०मी० समतल है। इस प्रस्ताव की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में दिनांक 04.05.2016 एवं Online प्रस्ताव दिनांक 10.05.2016 को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की समीक्षा में पाया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्व खण्डित चौड़ाई 16.50 मी० मानते हुए अवशेष आरक्षित वनभूमि 5.015 हे० के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया है। जबकि यह पथ भी गुवा-सलाई पथ का ही एक भाग है जो फेज-I के आगे पड़ता है एवं उसी के जैसा है, जिसमें पूर्व खण्डित चौड़ाई 12 मीटर माना गया है। इसके आलोक में वास्तविक पूर्व खण्डित भूमि के आधार पर संशोधित प्रस्ताव हार्ड कॉपी एवं Online समर्पित करने का अनुरोध इस कार्यालय के पत्रांक 1038 दिनांक 18.05.2016 से की गई। पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा संशोधित प्रस्ताव 7.67 हे० के लिए दिनांक 21.07.2016 को समर्पित किया गया। दिनांक 27.07.2016 को संयुक्त स्थल निरीक्षण में पाया गया कि सीमांकन पूरा नहीं है जिससे वृक्षों की मार्किंग/गणना सूची तैयार/जाँच नहीं हो पा रहा था। उनके अनुरोध पर दिनांक 09.08.2016 को बैठक कर पूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुए अवशेष कार्रवाई पूरा करने को कहा गया। दिनांक 26.08.2016 को पथ निर्माण विभाग द्वारा पूरा करने की सूचना दी गई जिसके आलोक में पुनः दिनांक 02.09.2016 को स्थल निरीक्षण किया गया।

पहाड़ी भाग 1.5 कि०मी० में अभी कोई कार्य नहीं हुआ है लेकिन समतल क्षेत्र वाले भाग में पुलिया निर्माण के काम में वाईपास तथा कहीं-कहीं पथ चौड़ीकरण का कार्य भी किया पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन मनमानी करने के चलते उस पथ के सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई। इस मनमानी कार्य के दोषियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुवा प्रक्षेत्र में वनपाल/वनरक्षी के पदस्थापित नहीं रहने, उग्रवाद प्रभावित एवं दूर-दराज जंगल क्षेत्र होने एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा अपने मनमानी कार्य करने के आदत के कारण काफी प्रयासरत रहने के बाद भी उल्लंघन की गई जिसके लिए पूर्ण रूप से पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर के पदाधिकारी एवं ठीकेदार जिम्मेवार है। प्रस्तावित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के कुल 1684 वृक्ष हैं एवं औसत घनत्व फेज-I की भाँति 0.5 ही है। यह प्रस्तावित क्षेत्र भी गुवा-सलाई पथ का ही आगे का भाग है, अतः प्रथम भाग के अनुसार ही इसमें भी वनभूमि अपयोजन का निर्णय लिया जा सकता है। प्रस्तावित क्षेत्र का फोटोग्राफ निम्नवत् है:-




 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 सारण्डा वन प्रमण्डल,
 चाईबासा।